भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1390

28/07/2026 को उत्तरार्थ

विषय- किसानों की एमएसपी की विधिक गारण्टी की मांग

1390 श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की विधिक गारंटी सहित कई प्रमुख मांगे उठा रहे हैं और यदि हां, तो सरकार को अब तक प्राप्त किसानों की मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा एमएसपी की विधिक गारंटी सहित किसानों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो इसे लागू करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यदि एमएसपी की गारंटी दी जाती है, तो इससे किसानों को फसलों के उत्पादन से अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ ही बड़े थोक व्यापारियों के रूप में बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचा जा सकेगा;

(घ) क्या खेती की बढ़ती लागत, आय में गिरावट और आर्थिक असुरक्षा के कारण किसान लगातार संकट में हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों की फसलों के लिए एमएसपी की विधिक गारंटी प्रदान करने के स्थायी समाधान की दिशा में क्या नीतिगत कदम उठाए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): समय-समय पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के संबंध में कई किसान संगठनों और अन्य हितधारकों से सुझाव/अभ्यावेदन भी प्राप्त होते रहते हैं।

प्रत्येक वर्ष सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात्, 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय, कृषि लागत और मूल्य आयोग भूमि, जल और उत्पादन के अन्य संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, अंतर-फसल मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सिफारिश करने से पहले, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) संबंधित स्टेकहोल्डर (जिनमें केंद्र एवं राज्य सरकारें, खरीद एजेंसियां, उद्योग संघ, किसानों के प्रतिनिधि, अनुसंधान संस्थान आदि शामिल हैं) से भी परामर्श करता है और आयोग द्वारा सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए उनसे मिली जानकारी का भी इस्तेमाल किया जाता है।

2018-19 के केंद्रीय बजट में उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बनाए रखने का पूर्व निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया था। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रतिफल वाली सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी।

सरकार द्वारा अधिसूचित खरीद एजेंसियों के माध्यम से कृषि उपज की खरीद का प्रावधान किया गया है। कृषकों को अपनी उपज का विक्रय, अपनी सुविधा एवं हित के अनुसार, सरकारी खरीद एजेंसियों अथवा खुले बाजार में करने का विकल्प उपलब्ध है।

कुल उत्पादन में से, जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिर जाता है, केवल विपणन योग्य अधिशेष ही सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध होता है। सरकार किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एवं अन्य नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज और मोटे अनाज की खरीद करती है। दलहन, तिलहन तथा कोपरा की खरीद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की छत्रक योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत, संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा जब भी इन उपजों का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिरता है, तब की जाती है। पीएम-आशा योजना के अंतर्गत खरीद एजेंसियाँ भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) हैं। सरकार द्वारा एमएसपी पर क्रमशः भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से कपास और जूट की खरीद भी की जाती है।

खरीद के आंकड़ों और किसानों को दी गई एमएसपी की राशि से स्पष्ट है कि बढाई गई एमएसपी से देश के किसान लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2004-2014 और वर्ष 2014-2026 (जून 2026 तक) के दौरान खरीद और किसानों को दी गई एमएसपी की राशि का विवरण निम्नानुसार है:

खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि

2004-2014		2014-2026 (जून, 2026 तक)	
कुल खरीद (एलएमटी में)	कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)	कुल खरीद (एलएमटी में)	कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)
6987	7.41	12819	27.80

इसके अतिरिक्त, उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और भंडारण एवं परिवहन आदि जैसी अन्य लॉजिस्टिक/इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र खोले गए हैं। मौजूदा मंडियों और डिपो/गोदामों के अतिरिक्त, प्रमुख स्थानों पर अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। खरीद प्रक्रिया निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और पिछले कुछ वर्षों में, एमएसपी के तहत खरीद प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है ताकि सीधे एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में सुनिश्चित किया जा सके और राज्यों के खरीद पोर्टलों के साथ आधार और भूमि अभिलेखों को जोड़ा जा सके, जिससे किसानों को एमएसपी खरीद का सीधा लाभ मिल सके।

सरकार ने दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2030-31 तक दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है। घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकारों के अनुरोध पर, पीएम-आशा योजना के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियों, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) के माध्यम से पूर्व-पंजीकृत किसानों से उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई मात्रा के अनुसार तूर, उड़द और मसूर की खरीद की जा रही है।

सरकार कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए पीएम-आशा योजना का एक घटक बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) भी लागू करती है, जो नाशवान प्रकृति के उत्पाद होते हैं और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य इन उत्पादों के बंपर फसल होने पर, आवक के चरम समय में, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं, तब उत्पादकों को संकटग्रस्त बिक्री करने से बचाना है। प्रचलित पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में बाजार मूल्यों में कम से कम 10 प्रतिशत की गिरावट होनी चाहिए। यह योजना राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अनुरोध पर लागू की जाती है।

सरकार ने 2024-25 सत्र से बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत भावांतर भुगतान (पीडीपी) के एक नए घटक का आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत नाशवान फसलों के किसानों को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास फसल की भौतिक खरीद करने या किसानों को एमआईपी और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान का चयन करने का विकल्प है।

इसके अतिरिक्त, 2024-25 सत्र से, सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत एक और घटक जोड़ा है, जिसके तहत किसानों के हित में टीओपी फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के भंडारण और परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य द्वारा नामित एजेंसियों को की जाएगी, ताकि उन्हें उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्यों तक पहुंचाया जा सके।

किसानों के लाभ के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल भी की हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
(ii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
(iii) प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
(iv) कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
(v) 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
(vi) प्रधानमंत्री अन्नदाता आयसंरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
(vii) संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
(viii) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
(ix) स्टार्ट-अप एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड (एग्रीश्योर)
(x) राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन
(xi) कृषोन्नति योजना
(xii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
